Regarding education centers and hostels for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students

डॉ. लता वानखेड़े **(**सागर**) :** महोदय, मैं आपका ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा एवं सशक्तीकरण से जुड़े एक महत्वूपर्ण विषय पर दिलाना चाहती हूं । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है । इस संदर्भ में हमारी सरकार के प्रयास सराहनीय हैं । माननीय मंत्री जी, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का एक बड़ा तबका निवास करता है । मैं जानना चाहती हूं कि इन वर्गों के उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्र में नए छात्रावास एवं शिक्षा केन्द्र स्थापित करने और इन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं?

महोदय, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार केन्द्र और कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के साथ-साथ मध्य प्रदेश में जगह-जगह दिव्यांग पार्क बनाए जाने का मैं आग्रह करती हूं । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के हॉस्टल्स को स्मार्ट हॉस्टल के रूप में विकसित करने का मैं आग्रह करती हूं, जिसमें ई-लाइब्रेरी, डिजिटल क्लास रूम और कौशल विकास केन्द्र हों । परम्परागत गुरूकुल मॉडल को आधुनिक तकनीकी के साथ जोड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रिहाइशी शिक्षा केन्द्र बनाए जाएं, जहां छात्रों को शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए । कृषि कारीगरी, आईटीएम, अन्य कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को स्कूल शिक्षा के साथ जोड़ा जाए । दूरदराज के क्षेत्रों के लिए मोबाइल शिक्षा केन्द्र, चलते-फिरते स्कूल्स बनाए जाएं, जो वंचित छात्रों, दिव्यांगों तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य करें । प्रत्येक जिले में एक प्रमुख शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाए, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास रूम, स्किल ट्रेनिंग सेंटर, कैरियर काउंसलिंग, हॉस्टल, इत्यादि की सुविधा हो । इसे एक जिला, एक एजुकेशन हब योजना के तहत लागू किया जाए ।

महोदय, माननीय मंत्री जी के प्रयास की सराहना करते हुए मैं आग्रह करती हूं कि आप इस दिशा में और ठोस कदम बढ़ाएं, ताकि समाज में सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो सके और हमारा देश सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बने ।

माननीय सभापति **:** सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि शून्य प्रहर में जो आप अपना नोटिस देते हैं, उसमें केवल एक विषय का समावेश रखेंगे तो उसका उत्तर संबंधित मंत्रालय से आ सकता है । कई विषयों को समावेश शून्य प्रहर के प्रस्ताव में नहीं होना चाहिए ।